

पायलट, जूली और डोटासरा ने सड़कों पर उतरकर राज्य सरकार को घेरा

प्रदेश में जर्जर स्कूलों और विद्यालयों में मीडिया एंट्री बंद करने पर भड़का विपक्ष, शिक्षा मंत्री दिलावर का इस्तीफा मांगा

-विधानसभा संवाददाता-
जयपुर । राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायकों ने सदन का बायकोट (बहिष्कार) करके सड़कों पर उतरकर पैदल मार्च और उग्र प्रदर्शन किया। गुरूवार को सदन की कार्यवाही जब शुरू हुई तो विपक्ष का एक भी विधायक सदन के भीतर नहीं पहुंचा। कांग्रेस विधायकों ने प्रदेश में जर्जर स्कूलों, शिक्षा व्यवस्था की बदहाली तथा स्कूलों में मीडिया की एंट्री बंद करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टॉक विधायक सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में विपक्षी विधायकों ने विधानसभा गेट के बाहर धरना देकर नाराजगी जाहिर की।

इससे पहले विपक्षी विधायक पोद्दार मूक-बधिर स्कूल से 3 कि.मी. का पैदल मार्च करते हुए विधानसभा तक पहुंचे थे। पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग की।

पोद्दार स्कूल से पैदल मार्च करते हुए कांग्रेस विधायक विधानसभा के पक्षीय दार पर पहुंचे। यहां उन्होंने अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच इस दौरान नोकझोंक और धक्का-मुक्की हुई। कुछ कांग्रेस नेता बैरिकेड्स पर चढ़ गए। पुलिस द्वारा गेट बंद किए जाने के बाद कांग्रेस विधायक विधानसभा के बाहर ही धरने पर बैठ गए।

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टॉक विधायक सचिन पायलट ने भी राज्य सरकार पर निशाना साधा।



कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं टॉक विधायक सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने गुरूवार को राजस्थान विधानसभा के गेट के बाहर धरना देकर विरोध जताया।

उन्होंने कहा कि स्कूलों में पत्रकारों को प्रवेश नहीं दिया जा सकता, फोटो और वीडियो नहीं बनाए जा सकते तो इससे पारदर्शिता पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। प्रदेश में कई स्कूलों की स्थिति खराब है और बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी कमियों को सामने आने से रोकने के बजाय उन्हें दूर करने पर ध्यान दे। पायलट ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस विधायक सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए आए

थे, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में विधायक लंबे समय से निर्धारित रास्ते से प्रवेश करते रहे हैं, ऐसे में अचानक गेट बंद करना समझ से परे है। जूली ने पूरे मामले में विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने की बात कही। धरने को संबोधित करते हुए जूली ने कहा कि सरकार स्कूलों की वास्तविक स्थिति जनता और मीडिया से छिपाना चाहती है।

कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी और प्रदेश के स्कूलों में जाकर वहां की स्थिति सामने लाएंगी। जूली ने दावा किया कि प्रदेश में 3768 स्कूल जर्जर घोषित किए गए हैं और करीब 85 हजार स्कूलों के कमरे क्षतिग्रस्त हैं। कई स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक तक नहीं हैं। हालात ऐसे हैं कि बड़ी संख्या में

बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। जूली ने कहा कि कांग्रेस सदन के भीतर और सड़क पर दोनों जगह शिक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरती रहेगी। जूली ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए नियम-कायदे बदल रही है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था की बदहाली, कथित भ्रष्टाचार, शिक्षकों की कमी, कृषि और चिकित्सा व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगना चाहते हैं। शिक्षा विभाग में तबादलों और अन्य मामलों को लेकर गंभीर सवाल हैं। प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने कांग्रेस में गुटबाजी के सवालों को खारिज किया।

उन्होंने कहा कि पार्टी एकजुट है

■ मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा में सदन की कार्यवाही में नहीं पहुंचा एक भी विपक्षी विधायक

■ कांग्रेस विधायकों ने मूक बधिर स्कूल से विधानसभा तक 3 कि.मी. रैली निकालकर जताया विरोध

■ विधानसभा में प्रवेश करने से रोकने पर पुलिस और कांग्रेस नेताओं में हुई नौकझोंक, काली पट्टी बांधकर धरने पर बैठे विधायक

और नेताओं के बीच छोटी-मोटी राजनीतिक गतिविधियों या मुलाकातों को खींचतान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

कांग्रेस के पैदल मार्च का असर जयपुर की यातायात व्यवस्था पर भी पड़ा। मार्च त्रिभूति सर्किल से शुरू होकर अंबेडकर सर्किल, रामबाग और अमर जवान ज्योति होते हुए विधानसभा पहुंचा। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शामिल होने से कई मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए कई स्थानों पर यातायात को रोककर डायवर्ट किया।

पूर्व शिक्षिका को 20 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने के निर्देश

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिकारी के 16 अप्रैल 2024 को दिए आदेश को संशोधित करते हुए अजमेर की माहेश्वरी पब्लिक स्कूल प्रबंध समिति को निर्देश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता पूर्व शिक्षिका को क्षतिपूर्ति के तौर पर एक मुश्त 20 लाख रुपए का भुगतान करे। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि दो माह बाद भी स्कूल प्रबंध समिति यह राशि देने में असफल रहती है तो इस आदेश की तिथि से 9 फीसदी ब्याज भी देना होगा। जस्टिस अनुरूप सिंघी की एकलपीठ ने यह आदेश रानी गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता सुनील समदरिया ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता माहेश्वरी स्कूल में शिक्षिका के तौर पर साल 1995 में नियुक्त हुई थी। वही साल 1998 में उसे हिंद विषय की व्याख्याता के तौर पर पदोन्नत कर जुलाई, 2000 में इस पद पर स्थायी किया गया।

वी. श्रीनिवास को मिला 6 महीने का एक्सटेंशन

■ अब 28 फरवरी 2027 तक रहेंगे मुख्य सचिव

जयपुर (कासं)। राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास को केंद्र सरकार ने छह महीने का एक्सटेंशन दे दिया है। वी. श्रीनिवास 31 अगस्त को रिटायर होने वाले थे। अब केंद्र से 6 महीने का एक्सटेंशन मंजूर होने से श्रीनिवास 28 फरवरी 2027 तक मुख्य सचिव के पद पर रहेंगे। ज्ञात रहे कि राज्य सरकार ने पिछले दिनों मुख्य सचिव के एक्सटेंशन का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भिजवाया था, जिसे मंजूरी दे दी गई। वी. श्रीनिवास ने 17 नवंबर 2025 को राजस्थान के मुख्य सचिव का पदभार संभाला था। मुख्य सचिव बनने से पहले वह सेंट्रल डेपुटेशन पर थे। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने 23 जुलाई को केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय को सीएस वी. श्रीनिवास को एक्सटेंशन देने का प्रस्ताव भिजवाया था। अब मंत्रालय ने इसे मंजूरी देने के साथ ही राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को एक्सटेंशन

का लेटर भेज दिया है। वी. श्रीनिवास 1989 बैच के आईएएस अफसर हैं। पिछले साल 16 नवंबर को वी-श्रीनिवास को सीएस के पद पर नियुक्ति के आदेश जारी किए थे। तत्कालीन मुख्य सचिव सुधांशु पंत कार्यकाल के बीच अचानक सेंट्रल डेपुटेशन पर गए थे। पंत को जगह श्रीनिवास ने 17 नवंबर को चार्ज लिया था। इससे पहले श्रीनिवास 7 साल से केंद्रीय डेपुटेशन पर थे। उन्होंने सीएस बनने से पहले 14 नवंबर 2026 को शाम को ही केंद्रीय डेपुटेशन से राजस्थान के लिए रितीव किया गया था। सीएस बनने से पहले वे केंद्रीय प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत, पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग के सचिव थे।

12 जिलों में 48 परीक्षा केन्द्रों पर 30 अगस्त को होगी नीट पीजी परीक्षा

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने अधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियों पर चर्चा की

जयपुर (कासं)। आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदेश के 12 जिलों में 48 परीक्षा केन्द्रों पर आगामी 30 अगस्त को नीट पीजी परीक्षा-2026 आयोजित की जाएगी। परीक्षा के सुचारु एवं व्यवस्थित आयोजन को लेकर गुरूवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिवों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि परीक्षा के सफल आयोजन के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से

कार्य करें तथा एनबीईएमएस के अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखें। उन्होंने परीक्षा केन्द्रों पर सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, यातायात, विद्युत सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि नीट पीजी जैसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परीक्षा के आयोजन में राज्य सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराया जाए तथा परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। उन्होंने निर्धारित

प्रोटोकॉल एवं एनबीईएमएस के दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठीड़, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा बाबूलाल गोयल सहित संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सभी संभागीय आयुक्त, पुलिस विभाग के अधिकारी एवं एनबीईएमएस के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े।

भाजपा विधायकों का आरोप ‘‘वंदे मातरम् के सम्मान से भागी कांग्रेस’’

सदन से गायब होकर कांग्रेस कर रही है लोकतंत्र का भी अपमान : सत्ता पक्ष

-विधानसभा संवाददाता-
जयपुर । विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस द्वारा सदन की कार्यवाही से दूरी बनाना और वंदे मातरम् के पूर्ण गायन के दौरान सदन में उपस्थित नहीं रहना दुर्भाग्यपूर्ण है। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खुर्र, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम और विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कांग्रेस के इस रवैये को देश, मातृभूमि और लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति उसकी सोच का परिचायक बताते हुए कहा कि कांग्रेस को राष्ट्र और लोकतंत्र से अधिक केवल सत्ता से प्रेम रह गया है।

मंत्री झाबर सिंह खर्रां ने कहा कि कांग्रेस की नीतियां और वंदे मातरम् तथा मातृभूमि के प्रति उसका आचार-विचार अब पूरी तरह जनता के सामने आ गया है। वंदे मातरम् जैसे राष्ट्रभाव से जुड़े गीत के पूर्ण गायन के समय सदन से बाहर रहना कांग्रेस की राजनीतिक सोच

■ मंत्री खर्रां, बेदम और पटेल ने सदन में कांग्रेस की अनुपस्थिति पर निशाना साधा

और उसके आचरण को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इस आचरण से साफ हो गया है कि उसे मातृभूमि से प्यार नहीं है, उसे सिर्फ सत्ता में बने रहने से प्यार है। देश की जनता सब देख रही है और कांग्रेस को आने वाले समय में इसका जवाब भी देना।

खर्रां ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति का पूरा अधिकार है। विपक्ष को अपनी किसी भी नीति, विचार या मांग पर सरकार को घेरना है तो वह सदन में आए और शालीनता एवं तथ्यों के साथ अपनी बात रखे। सदन में तथ्यात्मक और तार्किक तरीके से बात रखी जाएगी तो सरकार को उस पर

आज स्थगित हो सकता है विधानसभा सत्र, यूसीसी पर बढ़ेगा सियासी पारा

-विधानसभा संवाददाता-
जयपुर। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार की कार्यवाही के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने की संभावना है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में गुरूवार को हुई कार्य सलाहकार समिति (बीएससी) की बैठक में फिलहाल शुक्रवार तक का ही कामकाज लय किया गया। हालांकि सत्रावसान नहीं होगा, इसलिए संवैधानिक रूप से यही सत्र आगे भी जारी माना जाएगा।

शुक्रवार को सदन में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। इसके साथ ही अनुपूर्क अनुदान की मांगें सदन में रखी जाएंगी और उन्हें पारित कराया जाएगा।

सीमित समय के चलते यूसीसी विधेयक पर विस्तृत चर्चा और इसके

■ बीएससी ने शुक्रवार तक का कामकाज किया तय, अनुपूर्क अनुदान होंगे पारित

■ नवंबर में चुनाव के बाद फिर शुरू होगा विधानसभा का अगला चरण

पारित होने की प्रक्रिया अगले चरण में आगे बढ़ने की संभावना है।

मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने संकेत दिए कि विधानसभा के अगले चरण की बैठक नवंबर के दूसरे सप्ताह में हो सकती है।

तब तक प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव संपन्न होने की संभावना है। चुनावों के बाद विधानसभा में महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को आगे

बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि शुक्रवार के बाद सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जा सकता है, लेकिन सत्रावसान नहीं होने के कारण नवंबर में इसी सत्र का अगला चरण बुलाया जा सकेगा।

शुक्रवार को विधानसभा में यूसीसी विधेयक की पेशी महत्वपूर्ण रहेगी। हालांकि मौजूदा चरण में समय कम होने के कारण इसके तुरंत पारित होने को लेकर संशय है। माना जा रहा है कि सरकार अगले चरण में विधेयक पर विस्तृत चर्चा कराकर इसे पारित कराने की दिशा में आगे बढ़ेगी।

वहीं अनुपूर्क अनुदान की मांगों पर शुक्रवार को कार्रवाई पूरी करने की तैयारी है। ऐसे में एक दिन में सिमटता यह विधानसभा चरण यूसीसी और वित्तीय प्रस्तावों के कारण राजनीतिक रूप से खासा महत्वपूर्ण रहने वाला है।

टैक्सटाइल और डेटा सेंटर को मिलेगा फ्लेक्सिबल लैंड पेमेंट मॉडल का लाभ

जयपुर। राज्य में टैक्सटाइल एवं अपैरल, हस्तशिल्प और फूड प्रोसेसिंग जैसे विशेष क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिये रीको ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। रीको के फ्लेक्सिबल लैंड पेमेंट मॉडल के अंतर्गत अब टैक्सटाइल एवं अपैरल, हस्तशिल्प, एग्रो एवं मिल्क प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, वूल (ऊन) प्रोसेसिंग, सेरेमिक्स एवं ग्लास, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैनुफैक्चरिंग, पेट्रोकेमिकल उत्पाद तथा डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों को भी भूखण्ड की राशि के भुगतान हेतु 10 वर्षों की किश्त सुविधा प्रदान की जायेगी।

रीको द्वारा पूर्व में लॉजिस्टिक्स, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रेपिंग फैसिलिटी, सेमीकंडक्टर, एयरोस्पेस एंड डिफेंस तथा वेस्ट प्रोसेसिंग एवं रीसाइक्लिंग क्षेत्रों के लिए फ्लेक्सिबल लैंड पेमेंट मॉडल की सुविधा प्रदान की गई थी। फ्लेक्सिबल लैंड पेमेंट मॉडल के अंतर्गत, आवंटित भूमि के प्रीमियम की 10 प्रतिशत राशि, जिसमें

आवेदन के साथ जमा 5 प्रतिशत ईएमडी राशि समायोजित की जाती है, लेटर ऑफ ऑफर जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर जमा करना होता है। शेष 90 प्रतिशत प्रीमियम राशि का भुगतान 10 वर्षों की अवधि में 8.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ वार्षिक किश्तों में किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा निवेश आकर्षित करने और नए औद्योगिक अवसर विकसित करने के उद्देश्य से राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी-2025, राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025, राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025, राजस्थान व्हीकल स्क्रेपिंग पॉलिसी-2025 तथा राजस्थान एयरोस्पेस एवं डिफेंस पॉलिसी-2026 जैसी महत्वपूर्ण नीतियां लागू की गई हैं। इन नीतियों का फायदा उठाते हुए निवेशक इन विशिष्ट क्षेत्रों में निवेश करने के लिये प्रोत्साहित हों, इसलिये फ्लेक्सिबल लैंड पेमेंट मॉडल ने नए क्षेत्र जोड़े गये हैं।

निकाय चुनाव में दम दिखाओ, राजनीतिक नियुक्तियों में मिलेगा लाभ : भजनलाल शर्मा

309 नगरीय निकायों में चुनाव से पहले भाजपा ने पार्टी नेताओं को दिया स्पष्ट संदेश

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। राजस्थान में 309 नगरीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही भाजपा ने टिकट वितरण से लेकर चुनावी रणनीति तक पूरी मशीनरी सक्रिय कर दी है। गुरूवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व विधायक प्रत्याशियों और पार्टी के प्रमुख नेताओं से संवाद कर निकाय चुनाव को लेकर स्पष्ट संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि निकाय चुनाव में जिसका प्रदर्शन बेहतर रहेगा, भविष्य में राजनीतिक नियुक्तियों में उसे प्राथमिकता मिल सकती है। उन्होंने कहा कि बोर्ड और आयोगों में नियुक्तियां इसलिए रोकी गई हैं, क्योंकि कई नेताओं की निकाय चुनाव में भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

मुख्यमंत्री ने पूर्व विधायक प्रत्याशियों से कहा कि संबंधित विधानसभा क्षेत्र में वे भाजपा के लिए विधायक ही हैं। ऐसे में निकाय चुनाव को पूरी गंभीरता से लेते हुए अपने क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने और बेहतर परिणाम दिलाने के लिए पूरी ताकत झोंकें। उन्होंने संकेत दिया कि निकाय चुनाव में संगठन और पार्टी के पक्ष में प्रभावी भूमिका निभाने वाले नेताओं के राजनीतिक भविष्य में इसका लाभ मिल सकता है।

भाजपा ने पार्षद प्रत्याशियों के चयन के लिए इस बार अलग फॉर्मूला तैयार किया है। पार्टी ने दावेदारों के लिए 19 बिंदुओं का प्रोफार्मा तैयार किया है। इसमें टिकट मांगने वाले कार्यकर्ता को अपने नाम के साथ उसी वार्ड से तीन अन्य योग्य दावेदारों के नाम भी प्राथमिकता क्रम में देने होंगे।

पार्टी तीन दिन में सभी वार्डों से नामों का पैनल तैयार करेगी। इसके बाद इन नामों पर संगठन की रिपोर्ट, स्थानीय फीडबैक और पार्टी के सर्वे को आधार बनाकर जीतने योग्य प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। इस



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पूर्व विधायक प्रत्याशियों और पार्टी के प्रमुख नेताओं से संवाद कर निकाय चुनाव को लेकर बातचीत की।

प्रक्रिया के जरिए पार्टी एक ही दावेदार पर निर्भर रहने के बजाय प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध मजबूत चेहरों का तुलनात्मक आकलन करेगी।

संगठन से लेकर आपराधिक रिकॉर्ड तक की होगी जांच

दावेदारों से संगठन में सक्रियता, भाजपा की सदस्यता, पूर्व दायित्व, चुनाव लड़ने का अनुभव, स्थानीय पकड़ और संगठन के प्रति योगदान सहित कई जानकारीयां मांगी गई हैं। इसके साथ ही आपराधिक प्रकरणों का भी पूरा विवरण देना होगा। वर्तमान में कोई मुकदमा चल रहा है या पूर्व में कोई मामला दर्ज रहा है तो उसकी जानकारी भी प्रोफार्मा में देनी होगी। निकाय से संबंधित किसी बकाया राशि और पार्टी की ओर से पूर्व में की गई कार्रवायों के विवरण भी मांगा गया है। यानी टिकट देने से पहले पार्टी दावेदार की संगठनात्मक छवि के साथ उसके व्यक्तिगत रिकॉर्ड की भी पड़ताल करेगी।

‘वार्ड का प्रत्याशी वार्ड में’ पर जोर रहेगा

भाजपा ने स्थानीय पकड़ को टिकट चयन का महत्वपूर्ण आधार बनाने के संकेत दिए हैं। दावेदार को यह साबित करना होगा कि वह संबंधित वार्ड का निवासी है।

इसके लिए मतदाता पहचान पत्र अथवा मतदाता सूची क्रमांक की जानकारी मांगी गई है। पार्टी की कोशिश रहेगी कि जो कार्यकर्ता जिस वार्ड में रहता है, उसे सामान्य परिस्थितियों में उसी वार्ड से चुनाव लड़ना जाए। हालांकि किसी अन्य वार्ड में उसकी उपयोगिता अधिक होने पर पार्टी परिस्थितियों के अनुसार फैसला कर सकती है।

पूर्व प्रत्याशियों को मिलेगी चुनावी जिम्मेदारी

अधिवक्ता की सुरक्षा वापस लेने पर पुलिस कमिश्नर को नोटिस

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश पर वकील को मिली हुई सुरक्षा को वापस लेने के मामले में जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मिश्रल को अवमानना नोटिस जारी कर 2 सितंबर तक जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस गणेश राम मीणा ने यह निर्देश अधिवक्ता आरएस राघव की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

याचिका में बताया कि याचिकाकर्ता अधिवक्ता 2014 से मार्च 2019 तक हाईकोर्ट में लोक अभियोजक के तौर पर कार्यरत रहे थे। उस दौरान एक जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके विरोध करने पर आरोपी पक्ष ने उन्हें धमकी दी थी। जिस पर राघव ने हाईकोर्ट से उन्हें सुरक्षा दिलवाए जाने का आग्रह किया। हाईकोर्ट ने 20 अगस्त 2015 के आदेश से प्रार्थी को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कहा, लेकिन अदालत के उन्हें सुरक्षा जारी रखने के स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद उनकी सुरक्षा वापस ली गई। जबकि सुरक्षा संबंधी आदेश बाद में न तो संशोधित किया गया है और न ही वापस लिया गया।

इस संबंध में 5 जून 2026 को पुलिस को अभ्यावेदन देने पर भी उनकी सुरक्षा बहाल नहीं की गई। इसके बावजूद याचिकाकर्ता की सुरक्षा बहाल नहीं की गई। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने पुलिस कमिश्नर को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।